भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **818**
गुरुवार, 2 दिसंबर, 2021/11 अग्रहायण, 1943 (शक)

किराये का युक्तिकरण

818. श्री जी. एम. सिद्धेश्वर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू एयरलाइनों द्वारा वसूले जा रहे हवाई किराये का युक्तिकरण करने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपस में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण उन्हें हानि नहीं हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की उड़ान योजना के अधीन प्रत्येक एयरलाइन के लिए विशिष्ट रूट आवंटित करने की कोई योजना है। ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ हवाई किराये में तर्कसंगतता बनी रहे: और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) , विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) एवं (ख): विमान किराया सरकार द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है, तथा एयरलाइनें विमान नियम, 1937 के प्रावधान के अंतर्गत परिचालन की लागत, सेवा की विशेषता, उचित लाभ और आम तौर पर प्रचलित टैरिफ सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित टैरिफ तय करती हैं। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता को बनाए रखने हेतु नागर विमानन महानिदेशालय) यादृच्छिक आधार पर चुने गए कुछ मार्गों पर हवाई किराए की निगरानी करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइने अपनी वेबसाइटों पर एयरलाइनों द्वारा घोषित सीमा के बाहर हवाई किराए का शुल्क नहीं वसूल करें।

तथापि, कोविड - 19 के प्रकोप के कारण, अनुसूचित घरेलू परिचालन दिनांक 25.03.2020 से प्रभावी रूप से निलंबित कर दिया गया था, जिन्हें बाद में दिनांक 25.05.2020 से चरणबद्ध तरीके से पुन: आरंभ किया गया था, जिसमें किराए की सीमा (विभिन्न क्षेत्रों पर निचली और ऊपरी सीमा) के साथ यह सुनिश्चित किया गया था कि एयरलाइनें यात्रियों से अत्यधिक किराया नहीं वसूल करें। किराया बैंड यात्रियों के साथ-साथ

एयरलाइनों के हितों की रक्षा के दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.09.2021 के अनुसार, अगले 15 दिनों के आवर्तन (cycle) के लिए न्यूनतम और अधिकतम हवाई किराए को वापस किया जाता है।

(ग) एवं (घ): नागर विमानन मंत्रालय ने देश में अपरिचालित एवं अल्पपरिचालित हवाइअड्डों को जोड़ने के लिए तथा जनसाधारण हेतु हवाईयात्रा को किफायती बनाने के लिए क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (आरसीएस)-उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना दिनांक 21.10.2016 को प्रारंभ किया है। इच्छुक एयरलाइने विशेष मार्गों पर मांग के अपने आकलन के आधार पर बोली प्रक्रिया के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। परिचालन की स्थिरता के लिए, चयनित एयरलाइन परिचालकों को योजना के तहत आरसीएस के अंतर्गत अवॉर्ड किए गए मार्गों पर परिचालन शुरू होने से तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए हवाई परिवहन सेवाओं / उड़ानों के परिचालन के लिए विशिष्टता दी जाती है। उड़ान योजना एक मांग संचालित योजना है जहां योजना के तहत अधिक गंतव्यों/स्टेशनों और मार्गों को समाविष्ट करने के लिए समय-समय पर बोली प्रक्रिया आयोजित की जाती है। अब तक, उड़ान योजना के अंतर्गत चार दौर की बोली प्रक्रिया आयोजित किए जा चुके हैं, और 100 से अधिक हवाईअड्डों को शामिल करते हुए 948 मार्गों को अवॉर्ड किया गया है। इन अवॉर्ड किए गए मार्गों में से, 395 उड़ान योजना के अंतर्गत मार्गों को पहले ही 63 उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए परिचालित किया जा चुका है, जिसमें 2 वाटर एयरोड्रोम और 6 हेलीपोर्ट शामिल हैं।

******